कार्यालय नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्य प्रदेश, भोपाल-462011.
दूरभाष: 0755-2550931

क्रमांक जी.बी.चार/पेपर(के-11)2020-21/ 1720 भोपाल, दिनांक 11-11-2020

ई-निविदा सूचना

वायरो कॉम्ब नोट बुक एवं मल्टी कलर शीट केलेण्डर के विनिर्माण उत्पादन का पर्याप्त अनुभव रखने वाले प्रिन्टर्स से तकनीकी विवरण में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति करने वाले इच्छुक निविदाकारों से पेपर सहित मुद्रण कर प्रदाय करने हेतु आई.टी. विभाग की वेबसाईट **https://www.mptenders.gov.in** से आनलाईन निविदाए दिनांक 27-11-2020 को अपरान्ह 12:30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं ।

2. विभाग की वेबसाइट **www.govtpress.gov.in** पर निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों को अवलोकनार्थ रखा गया है ।

3. ई-टेण्डरिंग में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्डकापी key-dates अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 28-11-2020 को अपरान्ह 13:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा । ई-टेण्डरिंग का तकनीकी भाग एवं हार्ड कापी के लिफाफे एवं निविदाकार द्वारा प्रस्तुत नमूनों को दिनांक 28-11-2020 को अपरान्ह 14:00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा ।

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील)
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्य प्रदेश, भोपाल.

Key Dates and Time

1.Bid closing & last date and time for submission on online Bids.	:	12:30 P.M. on 27-11-2020
2.Last Date & Time for submission of Hard copy of technical Bids.	:	13:00 P.M. on 28-11-2020
3.Date of Opening of Technical Bid.	:	14:00 P.M. on 28-11-2020

वायरो कॉम्ब नोट बुक का तकनीकी विवरण

आकार	11 सें.मी. X 18 सें.मी., कव्हर 12 X 18 सेंमी.
अनुमानित संख्या	80,000 नग
पेपर टेक्सट मैटर	80 जी.एस.एम. सुपर फाइन मेपलिथो पेपर विथ मिनिमम 85% ब्राइटनेस ।
मुख्य एवं बैक कव्हर	280 माइक्रोन्स रिजिट शीट डार्क ब्राउन कलर अनुसार ।
प्रिंटिंग	अन्दर के पृष्ठों में म.प्र.शासन का लोगो ब्राउन कलर में मुद्रित होगा। फ्रंट कव्हर पर म.प्र.शासन एवं लोगो/मोनो गोल्डन कलर में यू.व्ही.कोटिंग से मुद्रित होगा ।
पृष्ठ संख्या	80 लीफ (20 लीफ पिंक कलर, 20 लीफ यलो कलर व 20 लीफ ब्ल्यू कलर एवं 20 लीफ व्हाइट कलर की)
बाइंडिंग	12 एम.एम. वायरो कॉम्ब बाइंडिंग, राउण्ड कट ।
पैकिंग	5 प्लाई कार्टून (अधिकतम 25 के.जी. वजन) में पैक कर उस पर मात्रा एवं सामग्री के नाम की पर्ची चस्पा कर प्रदाय करना होगा, जिसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।
प्रदाय स्थल	भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा स्थित शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय में ।
प्रदाय अवधि	15 दिवस ।

शीट केलेण्डर का तकनीकी विवरण

आकार	29 सें.मी. X 43 सें.मी.
अनुमानित संख्या	1,57,000 नग
पेपर	130 जी.एस.एम. आर्ट पेपर, मिनिमम ब्राइटनेस 90%
प्रिंटिंग	एक तरफ मल्टी कलर प्रिंटिंग ।
पैकिंग	5 प्लाई कार्टून (अधिकतम 25 के.जी. वजन) में पैक कर उस पर मात्रा एवं सामग्री के नाम की पर्ची चस्पा कर प्रदाय करना होगा, जिसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।
प्रदाय स्थल	भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा स्थित शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय में ।
प्रदाय अवधि	07 दिवस ।

निविदा की शर्ते

1. तकनीकी विवरण अनुसार वायरो कॉम्ब नोट बुक एवं शीट केलेण्डर के आवश्यक अर्हता की पूर्ति करने वाले मुद्रकों से आई.टी. विभाग की वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in से आन लाइन निविदाएं दिनांक 27-11-2020 को अपरान्ह 12:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है
2. आनलाइन तकनीकी निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों की हार्ड कापी एवं आवश्यक नमूनों सहित दिनांक 28-11-2020 को अपरान्ह 13:00 बजे तक कार्यालय में जमा करना होगा ।
3. प्राप्त निविदाओं का तकनीकी भाग दिनांक 28-11-2020 को अपरान्ह 14:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा ।
4. निविदा में भाग लेने के लिये न्यूनतम अर्हता निम्नानुसार है:-
   - (I) निविदा राशि रू. 2,000/- आनलाईन ई-पेमेन्ट कर क्रय किया जा सकता है ।
   - (II) ई.एम.डी. राशि रूपये 50,000/- आनलाईन ई-पेमेन्ट से जमा करना होगा एवं प्रमाण स्वरूप जमा राशि का अभिलेख प्रस्तुत करना होगा
   - (III) तकनीकी विवरण की सामग्री मुद्रण हेतु निर्धारित स्थापित मशीनों का विवरण एवं प्रमाण स्वरूप स्थापित मशीन के देयक की छायाप्रति संलग्न करना होगा अथवा जो नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल में पंजीकृत है उन्हें जीवित पंजीयन होने का प्रमाण संलग्न करना होगा ।
   - (IV) निविदाकार को जी.एस.टी. पंजीयन एवं पेन नम्बर प्रस्तुत करना होगा ।
   - (V) तकनीकी विवरण अनुसार लगने वाली सामग्री जैसे पेपर के नमूनों पर पेपर निर्माता मिल का नाम, जी.एस.एम. अंकित किया जाय । वायरो कॉम्ब, रिजिट शीट सहित मुद्रण एवं एफ.ओ.आर. गोडाउन की प्रति नग दर समस्त कर सहित प्रस्तुत करना होगा ।
   - (VI) समान प्रवृत्ति के बहुरंगी मुद्रण कार्य के नमूने संलग्न करना होगा ।
   - (VII) निर्धारित तकनीकी विवरण के 2 नमूनें तैयार कर निविदाकार फर्म को पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
   - (VII) एक मल्टी कलर मशीन स्थापित होना अनिवार्य है। प्रमाण स्वरूप देयक प्रस्तुत करना होगा ।
   - (IX) निविदा की शर्तो पर सहमति निविदाकार फर्म को पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
5. सफल निविदाकार को प्रतिभूति के रूप में आदेशित कार्य की 10 प्रतिशत राशि जमा कर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निश्चित समयावधि में करारनामा हस्ताक्षर नहीं करने पर सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी। साथ ही उससे उच्च दर वाले निविदाकार को यह कार्य सौंपे जाने पर जो अन्तर की राशि आवेगी उसकी वसूली भू-राजस्व के तहत् की जावेगी एवं संबंधित निविदाकार का पंजीयन निरस्त कर आगामी 5 वर्षो के लिए काली सूची में डाला जावेगा ।
6. निविदा प्रस्तुत करने का यह आशय होगा कि निविदाकार ने समस्त शर्ते स्वीकार कर ली है। यदि निविदाकार द्वारा निर्णय के बाद अपनी निविदा वापिस ली जाती है तो उसकी जमा सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी । साथ ही निविदाकार का पंजीयन भी निरस्त कर दिया जावेगा ।

7. शीट केलेण्डर एवं वायरो कॉम्ब नोट बुक की अनुमानित संख्या में 50 प्रतिशत तक कमी या वृद्धि की जा सकेगी ।

8 शीट केलेण्डर के बहुरंगी मुद्रण का कार्य सात दिवस में पूर्ण कर एवं वायरो कॉम्ब नोट बुक का कार्य 15 दिवस में पूर्ण कर उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के कार्यालय में जमा करना होंगे ।

9. अन्तिम मशीन प्रूफ अनुमोदन के चौथे दिन के पश्चात् दोनों सामग्री की 2000 एडवांस कापी उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को सौंपी जावेगी । निर्धारित तिथि को अग्रिम कापियां न देने पर राशि रूपये 10,000/- की शास्ति अधिरापित की जावेगी ।

10. मुद्रण आदेश के किसी भी अंश का कार्य अन्यत्र अन्य व्यवसायी से नहीं कराया जायेगा । यदि कोई भाग किसी अन्य फर्म/संस्था से कराया जाना पाया जाता है तो फर्म के ऊपर वैधानिक कार्यवाही कर ब्लैक लिस्ट किया जायेगा ।

11. कार्य सम्पादन अवधि में निविदाकार फर्म का निरीक्षण, नियंत्रक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक के द्वारा समय-समय पर किया जावेगा ।

12. निविदाकार को मुद्रण के पहले प्रोग्रेसिव प्रूफ तैयार कर उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से अनुमोदन प्राप्त करना होगा । आवश्यकता पड़ने पर बताये गये कलर करेक्शन भी करवाना होगा । प्रूफ करेक्शन का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।

13. निविदाकार के मुद्रणालय में आवश्यकता होने पर तकनीकी समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया जावेगा एवं क्षमता, समय-सीमा एवं गुणवत्ता सही पाये जाने पर ही प्रस्तुत दर पर विचार किया जावेगा ।

14. मुद्रित की जाने वाली सामग्री की सी.डी. एवं अनुमोदित नमूना निविदाकार को उपलब्ध कराया जावेगा

15. समस्त प्रकार के टैक्स का भुगतान मुद्रक को स्वयं वहन करना होगा ।

16. निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तो से अलग कोई भी लगाई गई शर्त मान्य नहीं होगी एवं निविदा निरस्त की जावेगी ।

17. निर्धारित समय अवधि में शीट केलेण्डर एवं वायरो कॉम्ब नोट बुक प्रदाय न करने की स्थिति में 2 प्रतिशत प्रति सप्ताह के मान से शास्ति अधिरोपित की जावेगी जो अधिकतम 15 प्रतिशत तक लगाई जावेगी ।

18. निविदाकार द्वारा आदेशित सामग्री को पूर्ण प्रदाय कर इसकी सूचना उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल को देना होगा । उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल द्वारा प्राप्त सामग्री पर अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री को भेजा जावेगा । तकनीकी समिति के द्वारा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 80 प्रतिशत राशि के भुगतान आदेश दिये जावेंगे । शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान अंतिम लॉट की सामग्री प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर मात्रा की गणना, गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात किया जावेगा ।

19. निविदाकार के देयक से भुगतान करते समय जी.एस.टी. एवं अन्य टैक्स जो लागू होंगे, कटौत्रा किया जावेगा ।

20. यह निविदा आमंत्रण किसी प्रकार का कार्यादेश नहीं है । किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल को होगा ।

21. यदि दोनों पक्षों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पास संदर्भित किया जाएगा और वही इस प्रकरण में दोनो पक्षकारों की सहमति से आर्बीट्रेटर रहेंगे तथा उनके द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षकारों को बंधनकारी होगा । आर्बिटेशन एवं काउंसिलिएशन एक्ट मध्यप्रदेश मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के प्रावधान लागू होंगे ।

22. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन की सूचना बेवसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध रहेगा ।

नोटः-निविदाकार शर्तो पर सहमति हस्ताक्षर, पदमुद्रा सहित अंकित कर तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करें ।

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश, भोपाल.

ग्रुप	विवरण	मात्रा नग में	पेपर, रिजिट शीट, प्रिटिंग, बाईडिंग, पैकिंग एवं परिवहन व्यय सहित दर राशि रूपये प्रति नग (समस्त कर सहित, एफओआर गोडाउन) तकनीकी विवरण अनुसार
ए	शीट केलेण्डर 2021 तकनीकी विवरण अनुसार	1,57,000	
बी	वायरो कॉम्ब नोट बुक 2021 तकनीकी विवरण अनुसार	80,000	